

13/25

23/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित / अनुपस्थित पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 2/5/25 को पेश हो।

(5)

7/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित / अनुपस्थित पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 1.4.15.12 को पेश हो।

(5)

14/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित / अनुपस्थित पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 4/6/25 को पेश हो।

अग्रणी दिनांक 12/6 को जमाना पे 4/25 का शेष जमाना है

(5)

4/6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित / अनुपस्थित पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 11/6/25 को पेश हो।

1,4,6 को जमाना पे 4/25 पेश हो

(5)

11/6/25 पत्रावली पेश हुई। अग्रणी दिनांक 3, 5, 7, 10, 11 को जोड़िए तब तक व अग्र वकील अग्रणी के विवेक के आधार पर इनके विरुद्ध रुक पक्षी मालवाही काल के लाई जाती है शेष 6 पक्षी 6 कोर्ट के उपर अग्रणी के कदम ली गई अग्रणी 10, 11 मालवाही है अग्र पत्रावली वास्तुकार के 18/11/25 को पेश है

(5)

18/6/25 पत्रावली काय दिनांक को वास्तुकार आदेश 0-9, R-9 आ 0 पत्र है पेश हुई पत्रावली का अग्रणी का दिनांक गला। अग्रणी अग्रणी द्वारा आ 0 पत्र सीमा पर वास्तुकार को आ 0 पत्र पर लेने का विवेक किया गया है। जिस पर उप वकील अग्रणी ने अपने जमाने के अग्रणी के तथ्यों का विरोध करते हुए अग्रणी उग्र आ 0 पत्र को खारिज करे का विवेक किया। उग्र पक्षी की कदम पत्रावली के अग्रणी के आधार पर अग्रणी का आ 0 पत्र सीमा पर अग्रणी है। जिसके बाद आ 0 पत्र का अग्रणी पर विस्तार हो तब अग्रणी अग्रणी सीमा दिनांक जाते (वास्तुकार) / आ 0 पत्र को अग्रणी पत्र पर लिखा जाये का आदेश

फर्द अहकाम

माल्य

होमस्टीड बनाम रघुनाथ की

समा संख्या / वर्ष


13/25 : /20

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

परामर्श जाया है पत्नीकी फौजदारी शुल्क
होमस्टीड दाखिल हो रफ नम्बर
से नम. 4


उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल